

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर एटा।

13-07-2024

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया। जुर्म स्वीकार के आधार पर अभियुक्त को मुव०-10/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड वसूल हुआ अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलेसर एटा।